205

संख्या– 190/XLI-1/2013–75–प्रशि0/2005टी0सी0

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग । **देहरादून दिनांक 16 ~~जून~~ जुलाई , 2013**

विषयः– **विश्व बैंक सहायतित वी0टी0आई0पी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून(महिला) तथा अस्कोट के भवन के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक निदेशक, एसपीआईयू, गढ़ीकैन्ट, देहरादून के पत्र संख्या–1200/एसपीआईयू/भवन/आंगणन/2011, दिनांक 02 अगस्त 2011, पत्र संख्या– 1301/ एसपी आईयू/भवन आंगणन/2011, दिनांक 01 सितम्बर 2011, पत्र संख्या– 1734/ एसपीआईयू/भ0/बजट/2012, दिनाक 02 मई 2012, पत्र संख्या–2463 /एसपी आईयू/भवन/2012, दिनांक 03 जनवरी 2013 एवं शासनादेश संख्याः 426/VIII/75-प्रशि0 /2005,दिनाक 04.03.2010, संख्या:686 /VIII/75-प्रशि0/2005, दिनाक 29.03.2010, संख्या:140/VXLI-1/2011-75-प्रशि0/2005, दिनाक 08.06.2011 तथा संख्या:2205/ VIII/75-प्रशि0/2005, दिनाक 27.10.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक सहायतित वी0टी0आई0पी0 येाजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून(महिला)तथा अस्कोट के भवन निर्माण हेतु निम्न तालिका के कालम–5 में उल्लिखित टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आंगणन की कुल रू0 93.585 लाख (रूपये तिरानब्बे लाख अट्ठावन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	प्रशिक्षण संस्था का नाम	निर्माण इकाई का नाम	आंगणन की धनराशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आंगणन धनराशि
1	2	3	4	5
1	रा0औ0प्र0संस्थान देहरादून(महिला)	उ0प्र0रा0निर्माण निगम देहरादून	54.97	50.50
2	रा0औ0प्र0संस्थान अस्कोट	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ	49.69	43.08
		कुल योग–	**104.66**	**93.58**

1– उपरोक्त प्रयोजनार्थ कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या सहित एवं अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

3– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

7– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

8– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

9– उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

11– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़/नैनीताल।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
6. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,देहरादून (महिला)/ अस्कोट ।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,देहरादून तथा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनुसचिव।